अधिसूचना

दिल्ली, 23 फरवरी, 2018

सं. 6/2018-राज्य कर

सं. फा. 03(88)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/96.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय विलंब शुल्क की रकम का अधित्यजन किया जाता है, जो उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख द्वारा **प्ररूप जीएसटीआर-5क** में देने में असफल रहता है, जो प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है के लिए पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है:

परंतु, जहां किसी मास/तिमाही में जावक आपूर्ति नहीं है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख पर उक्त विवरणी देने में असफल रहने पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय विलंब शुल्क की रकम उस विस्तार तक अधित्यजित रहेगी, जो प्रत्येक दिन जिसके दौरान उक्त असफलता जारी रहती है के लिए दस रुपये की रकम से अधिक है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 23 जनवरी, 2018 से प्रभावी होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd February, 2018

No. 6/2018– State Tax

No. F. 3(88)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/96.—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the return in **FORM GSTR-5A** by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that where the total amount of integrated tax payable in the said return is nil, the amount of late fee payable by such registered person for failure to furnish the said return by the due date under section 47 of the said Act shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues.

2. This notification shall come into force with effect from the 23rd day of January, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy.- VI (Finance)

अधिसूचना

दिल्ली, 23 फरवरी, 2018

सं. 1/2018-राज्य कर (दर)

सं. फा. 03(85)/वित्त(राज.-1)/2017-18/ डीएस-VI/97.— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 9 की उप धारा (1), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 16 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार